प्रेस नोट दिनांक 28.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 28.04.2026
थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त जीत कुमार उर्फ जितेन्द्र कुमार बिन्द को दुष्कर्म व दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) के अभियोग में किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को ग्राम पूरे भैयाजी थाना रानीगंज से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील यादव, का0 ओमप्रकाश पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर के मु0अ0सं0 11/2026 धारा 64 (1)/85/115(2)/351 (3)/352 B.N.S. व 3/4 DP Act से संबंधित 01 अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ जितेन्द्र कुमार बिन्द पुत्र अशोक निवासी ग्राम नरायपुर कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष को ग्राम पूरे भैयाजी थाना रानीगंज से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अजीत कुमार उर्फ जितेन्द्र कुमार बिन्द पुत्र अशोक निवासी ग्राम नरायपुर कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील यादव, का0 ओमप्रकाश पाल थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 28.04.2026
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 शातिर अपराधी शहबे आलम, जमील उर्फ लल्ला को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त शहबे आलम के कब्जे से 04 अदद जिंदा देशी बम व अभियुक्त जमील उर्फ लल्ला के कब्जे से 01 अदद देशी नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया-
अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत किशुनदासपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर के नेतृत्व में उ0नि0 प्रशान्त दूबे मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह, हे0का0 कुलदीप सिंह, का0 अनिकेत दिनकर, का0 नागेन्द्र खरवार द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गतकिशुनदासपुर के पास से 02 अभियुक्तों, 01. शहबे आलम पुत्र मुस्तकीम नि० ताला बाजार थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष के कब्जे से 04 अदद जिंदा देशी बम एवं 02. जमील उर्फ लल्ला पुत्र मुस्लिम नि० ग्रा० महुली माधवगंज चिलबिला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष के कब्जे से 01 अदद देशी नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त शहबे आलम के कब्जे से 04 अदद जिंदा देशी बम एवं अभियुक्त जमील उर्फ लल्ला के कब्जे से 01 अदद देशी नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0247/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम- 1908 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. शहबे आलम पुत्र मुस्तकीम नि० ताला बाजार थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ।
02. जमील उर्फ लल्ला पुत्र मुस्लिम नि० ग्रा० महुली माधवगंज चिलबिला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष ।

बरामदगी-

04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज व 01 अदद देशी नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 प्रशान्त दूबे मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह, हे0का0 कुलदीप सिंह, का0 अनिकेत दिनकर, का० नागेन्द्र खरवार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 28.04.2026
जनपद- प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा गंभीर अपराधों में वांछित 01 अभियुक्त पर 25,000/- रुपये का इनाम घोषित-

जनपद प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा कठोर रुख अपनाते हुए गंभीर आपराधिक प्रकरण में वांछित/फरार 01 अभियुक्त पर 25000/- रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की गई है।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 74,352,351 (2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 64,78 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त साबिर उर्फ बबलू पुत्र मो0 हुसैन निवासी आजाद नगर थाना को नगर जनपद प्रतापगढ़ घटना के बाद से फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 25,000/- रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की गई है—

अभियुक्त के नाम-
साबिर उर्फ बबलू पुत्र मो0 हुसैन निवासी आजाद नगर थाना को नगर जनपद प्रतापगढ़।

उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा नियमानुसार घोषित पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

प्रतापगढ़ पुलिस जनपदवासियों की सुरक्षा हेतु सतत रूप से प्रतिबद्ध है।